उ0 प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी

चतुर्थ तल, ए-ब्लॉक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226 010
दूरभाष : 0522-2720360, फैक्स : 0522-2721135
http://upaidscontrol.up.nic.in

पत्रांक : एड्स सोसा0 / अधि / NACP-III/जनपद रिक्त पद / 12–13 / 752 दिनांक 9 सितम्बर, 2013

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन एवं
अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी,
लखनऊ।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक / प्रधानाचार्य / संस्थान प्रभारी, मेडिकल कालेज / चिकित्सा संस्थान।
3. प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, समस्त जिला चिकित्सालय (पुरूष / महिला), उ.प्र.।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

विषयः प्रदेश की जनपदीय / परिधिगत इकाईयों में राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी के सृजित संविदा पदों पर चयन हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय / महोदया,

उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी के पूर्व पत्र संख्या–93732–93, दिनांक 02.01.2010 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें जिला एड्स समन्वय समिति के गठन एवं मुख्य उद्देश्यों में उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी की परिधिगत इकाइयों के विभिन्न घटकों में संविदा नियुक्ति का दायित्व जिला एड्स समन्वय समिति (डी.ए.सी.सी.) को दिया गया था।

प्रदेश की विभिन्न चिकित्सा संस्थानों / इकाईयों में उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी के सृजित संविदा पदों (**ब्लड बैंक**–लैब टैक्नीशियन, काउन्सलर, डॉटा आपरेटर, बी.टी.वी. ड्राइवर व अटेन्डेन्ट, ब्लड मोबाइल वैन ड्राइवर व अटेन्डेन्ट, **आई.सी.टी.सी. / पी.पी.टी.सी.टी. केन्द्र**–लैब टैक्नीशियन व काउन्सलर, **ए.आर.टी. / लिंक ए.आर.टी. केन्द्र** –एस.एम.ओ., एम.ओ., फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, केयर को–ऑर्डिनेटर, डॉटा एनालिस्ट, डाटा मैनेजर, डॉटा आपरेटर, सैसेप को–ऑर्डिनेटर, **एस.टी.आई. क्लीनिक**–एस.टी.आई. काउन्सलर, **डैप्कू**–डी.पी.एम., एम.एण्ड ई. असिस्टेन्ट, एकाउन्ट असिस्टेन्ट, प्रोग्राम असिस्टेन्ट) पर चयन के सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली चयन प्रक्रिया में भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के आधार पर एकरूपता लाने हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है:–

(क). चयन समिति का गठन–

क्र. सं.	चयन समिति का गठन	मेडिकल कॉलेज/ चिकित्सकीय संस्थानों एवं समकक्षीय अधिष्ठानों के अधीन संविदा पदों हेतु	जिला चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (पुरूष/महिला) के अधीन संविदा पदों हेतु	मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन स्वास्थ्य इकाइयों/ डैप्कू के अधीन संविदा पदों हेतु
1.	अध्यक्ष	संस्थान प्रभारी/ प्रधानाचार्य द्वारा नामित विभागाध्यक्ष	सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (पुरूष/महिला)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी
2.	सदस्य सचिव	**नोडल अधिकारी** (प्रभारी आई.सी.टी.सी./ पी.पी.टी.सी.टी.एस.टी.आई., ब्लड बैंक, ए.आर.टी.)	**नोडल अधिकारी** (प्रभारी आई.सी.टी.सी/ पी.पी.टी.सी.टी., एस.टी.आई. ब्लड बैंक, ए.आर.टी.)	जिला क्षयरोग अधिकारी
3.	नामित सदस्य	समिति अध्यक्ष द्वारा नामित प्रतिनिधि	जिलाधिकारी (अध्यक्ष, डी.ए.सी.सी.) द्वारा नामित प्रतिनिधि	जिलाधिकारी (अध्यक्ष, डी.ए.सी.सी.) द्वारा नामित प्रतिनिधि
4.	विशेषज्ञ सदस्य** (केवल तकनीकी पदों हेतु)	समिति अध्यक्ष द्वारा नामित प्रतिनिधि	अध्यक्ष/डी.ए.सी.सी. द्वारा नामित प्रतिनिधि	अध्यक्ष/डी.ए.सी.सी. द्वारा नामित प्रतिनिधि
5.	विशेष* आमन्त्री	उ.प्र. राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी प्रतिनिधि	उ.प्र. राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी प्रतिनिधि	उ.प्र. राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी प्रतिनिधि

चयन प्रक्रिया का अनुमोदन	संस्थान प्रभारी/ प्रधानाचार्य, सम्बन्धित चिकित्सा संस्थान द्वारा।	जिलाधिकारी/ अध्यक्ष, डी.ए.सी.सी. द्वारा

** उ.प्र. राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिनिधि विज्ञापन प्रकाशित होने तथा साक्षात्कार की तिथि नियत होने के पश्चात ही नामित किया जाएगा। अतः चयन समिति का गठन उ.प्र. राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी के प्रतिनिधि के अभाव में रोका नहीं जाएगा।

* केवल तकनीकी पदों हेतु, यदि चयन समिति में कोई अन्य विशेषज्ञ नहीं है।

(ख). चयन प्रक्रियाः–

1. चयन समिति के गठन का प्रस्ताव, चयन की प्रक्रिया, विज्ञापन, अभ्यर्थियों की शार्ट लिस्टिंग आदि कार्य सदस्य सचिव द्वारा किया जायेगा। अधिक से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त करने हेतु संस्थान द्वारा स्थानीय स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों से विज्ञापन दिया जाएगा। साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी से सम्बन्धित विवरण, शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि से